फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी निजी सीमित और अन्य सेवाएं

बनाम

अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी. आई. ए. नहीं। 2022 का 53453

/

में

(2021 की सिविल अपील संख्या 498-501)

12 अगस्त, 2022

/

[एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 52-प्रयोज्यता-विनियम 52, जो वितरक को देय कमीशन सहित खर्चों की कटौती से संबंधित है और अनुमति देता है, तब लागू होता है जब योजना चल रही होती है, और विनियम 39 (3) के साथ पठित विनियम 39 (2) (ए) के संदर्भ में न्यासियों के निर्णय के बाद, जब नोटिस के प्रकाशन पर, विनियम 40 का समाप्ति आदेश शुरू किया जाता है।

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 40 और 52-आयोजितःविनियम 40 और 52 को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता है-जब एक साथ पढ़ा जाए, तो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को देय शुल्क और खर्चों की सीमा को अधिकृत और निर्दिष्ट करने वाला विनियम 52 केवल तभी लागू होगा जब योजना चल रही हो, और विनियम 39 के उप-विनियम 3 के खंड (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन के बाद नहीं, जिसके परिणामस्वरूप योजना के संबंध में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि बंद हो जाएगी।

/

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 41-प्रयोज्यता-विनियम 41, जो समापन की प्रक्रिया और तरीके से संबंधित है, विनियम 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिस प्रकाशित होने और विनियमों के विनियम 18 (15) (सी) के अंतर्गत यूनिटधारकों की मंजूरी प्राप्त होने के बाद लागू होता है।

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 41 -

/

880 ए.

881

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी.

विनियमन 41 के उप-विनियमन 2 के खंड (बी) के अंतर्गत कमीशन का भुगतान-आयोजितःकिसी मामले में, खंड (बी) से विनियमन 52 (4) में उल्लिखित कुछ आवर्ती व्यय जैसे लेखा परीक्षा शुल्क, बीमा प्रीमियम, वैधानिक विज्ञापनों की लागत, आदि को शामिल किया जाएगा और विनियमन 41 (2) के खंड (बी) की आवश्यकता को पूरा करेगा-हालांकि, यदि और केवल जब वे समापन से जुड़े खर्चों की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो उन्हें विनियमन 41 (2) (बी) के अंतर्गत अनुज्ञात जा सकती है-म्यूचुअल फंड वितरकों को देय कमीशन निश्चित रूप से योजना के समापन से जुड़ा खर्च नहीं है।

/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 39 (2) (बी) और 52 (4) (बी)-म्यूचुअल फंड वितरकों द्वारा 'योजना के अंतर्गत देय और देय' राशि के रूप में कमीशन भुगतान के लिए दावा, इस आधार पर कि यह एक राशि या भुगतान था जो विनियम 39 (2) (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन से पहले अर्जित किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि यह भविष्य में देय था-आयोजितःमान्य नहीं-'देय और देय' अभिव्यक्ति की व्याख्या उस संदर्भ के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें शब्द दिखाई देते हैं-प्रश्न विनियमों के संदर्भ में, अभिव्यक्ति वर्तमान देनदारियों को संदर्भित करती है जो वर्तमान में या भविष्य में देय हो सकती हैं-भुगतान करने के लिए एक मौजूदा दायित्व होना चाहिए, हालांकि भुगतान की निर्धारित तिथि नहीं आई है-विनियमन 52 (4) का खंड (बी) आवर्ती खर्चों को संदर्भित करता है, यानी, जो समय-समय पर दोहराए जाएंगे-यह एक बार के भुगतान को संदर्भित नहीं करता है जो स्थगित हो जाता है-आवर्ती दायित्व एक वर्तमान दायित्व नहीं है, बल्कि एक दायित्व है जो कुछ शर्तों की संतुष्टि पर भविष्य में जमा हो सकता

है-अंतर्गत ीशन का दावा करने का अधिकार जमा नहीं हो सकता है और हो सकता हैभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996-विनियम 39 (3) (बी) और 41-विनियम 39 (3) (बी) के संदर्भ में नोटिसों के प्रकाशन पर, म्यूचुअल फंड का व्यवसाय बंद हो जाता है और इसलिए, उस तारीख को और उससे ट्रेल कमीशन देय नहीं होता है, क्योंकि योजना को समाप्त किया जाना है और धन एकत्र किया जाना है और यूनिटधारकों को भुगतान किया जाना है, और

/

/

/

/

/

/

882 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

/

विनियमन 41 के अधिदेश के अनुसार-भले ही कोई वितरक विनियमन 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन के बाद यूनिटधारकों को कुछ सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन यह उसे परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी से राशि का दावा करने का अधिकार नहीं देगा।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2021 की सिविल अपील संख्या 498-501 में 2022 की आई. ए. संख्या 53453।

/

बेंगलुरू में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 8644,8545 और 2020 के डब्ल्यू. ए. संख्या 399 में दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, नीरज किशन कौल, जनक द्वारकादास, वरिष्ठ अधिवक्ता।, असीम सूद, मोहित रोहतगी, राजेंद्र डांगवाल, जसमीत सिंह, सुश्री इरा एस. महाजन, आरजू अनेजा, रामचंद्र मदान, सुश्री अंकिता सिंघानिया, पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री प्रियंका दास, रजत नायर, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुघोश सुब्रमण्यम, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सन, एम/एस. के. जे. जॉन एंड कंपनी, नित्यानंद नटराज, वैभव आर. वेंकटेश, गोपाल सिंह, अर्जुन

गर्ग, अभिनव श्रीवास्तव, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री क्रिस्टी जैन, संजय कपूर, सुश्री शुभ्रा कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, आशीष कुमार, सुश्री अक्षता जोशी, धीरज नायर, कुमार किस्ले, अंगद बख्शी, शिवम सिंह, अभिनव सिंह, मनीष कुमार, सुश्री मधुमिता भट्ट। उत्तरदाताओं के लिए।

/

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

संजीव खन्ना, जे।

/

1. इस न्यायालय ने 3 अगस्त 2022 के आदेश के माध्यम से फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ओर से दायर उपरोक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह की बर्खास्तगी के कारणों का पालन किया जाएगा।आदेश में आगे निर्देश दिया गया कि रु। 684,00,00,000/- (छह सौ चौरासी करोड़ रुपये) यूनिटधारकों को वितरित किया जाए।परिणामस्वरूप, आवेदन में नोटिस जारी करते समय 12 अप्रैल 2022 के आदेश के माध्यम से हमारे द्वारा दी गई रोक भी खाली हो गई।वर्तमान आदेश के अनुसार, हम शीर्षक वाले आवेदन को खारिज करने के कारण प्रदान करते हैं।

/

1 संक्षेप में, 'फीफा' ए

/

883

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।]

2. फीफा का दावा है कि स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार/म्यूचुअल फंड वितरक अपने और फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बीच सहमत कमीशन के भुगतान के हकदार हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 2 के विनियम 52 के अनुसार आवर्ती खर्चों की प्रकृति में हैं। हमारा ध्यान विनियमन 52 (4) (बी) के उपखंड (i) की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'आवर्ती खर्च' में एजेंटों के कमीशन, यदि कोई हो, सहित विपणन और बिक्री खर्च शामिल हैं।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 3 द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को जारी परिपत्र में विनियमन 52 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां/म्यूचुअल

फंड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अग्रिम कमीशन या किसी भी अग्रिम कमीशन के भुगतान के बिना सभी योजनाओं में कमीशन का एक पूर्ण ट्रेल मॉडल अपनाएंगे।केवल व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से अंतर्वाह के मामले में ट्रेल कमीशन को बढ़ाने की अनुज्ञात है।

/

/

3. शुरुआत में, हमें यह बताना होगा कि फीफा 23 अप्रैल 2020 से 17 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कमीशन का दावा कर रहा है।23 अप्रैल 2020 से पहले देय कमीशन/सेवा शुल्क वर्तमान आवेदन का विषय नहीं हैं।23 अप्रैल 2020 प्रासंगिक है क्योंकि यह विनियमन 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिसों के प्रकाशन की तारीख है।तदनुसार, उक्त तिथि को और उसके बाद से, न्यासी/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने छह योजनाओं के संबंध में व्यवसाय करना बंद कर दिया।हमारी राय में, विनियमन 52, जो वितरक को देय कमीशन सहित खर्चों की कटौती से संबंधित है और अनुमति देता है, तब लागू होता है जब योजना चालू होती है, और विनियमन 39 (2) (ए) के संदर्भ में न्यासियों के निर्णय को विनियमन 39 (3) के साथ पढ़ा जाता है, जब, नोटिसों के प्रकाशन पर, विनियमन 40 का समाप्ति आदेश शुरू किया जाता है। विनियमन 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिसों के प्रकाशन की तारीख को और उसके बाद से, न्यासी/परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी व्यावसायिक गतिविधियों को जारी नहीं रख सकती है, इकाइयों का निर्माण या रद्द नहीं कर सकती है और योजना की इकाइयों को जारी या भुनाने में सक्षम नहीं है।यह एक अलग मामला होगा यदि यूनिटधारक योजना को समाप्त करने की मंजूरी नहीं देते हैं, जो कि वर्तमान मामले में एक तथ्य नहीं है, क्योंकि यूनिटधारक विनियमन 18 (15) (सी) के अनुसार छह योजनाओं को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं।

/

/

/

/

4. यदि हमें फीफा के तर्क को स्वीकार करना है, तो आवश्यक अनुक्रम यह भी स्वीकार करना और स्वीकार करना है कि परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, यहां तक कि विनियमन 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिसों के प्रकाशन को पोस्ट करती है,

2 संक्षेप में, "विनियम" 3 संक्षेप में, "SEBI"

/

/

[2022] 6 एस सी आर।

/

विनियम 52 के उप-विनियम 6 में निर्दिष्ट शर्तों और मात्रा के अनुसार विनियम 52 द्वारा उल्लिखित और कवर किए गए शुल्क और खर्चों के हकदार होंगे।विनियमन 52 (6) के उपखंड (सी) में योजना के कुल खर्चों का प्रतिशत निर्दिष्ट किया गया है जो स्वीकार्य है, जो दैनिक शुद्ध परिसंपत्तियों के 2.5% से 1.75% तक भिन्न होता है।यह, हमारी राय में, एक सही व्याख्या नहीं होगी और पीड़ित इकाइयों के लिए प्रतिकूल परिणामों के साथ विसंगतियों और क्लेश की ओर ले जाएगी, और व्यवसाय को बंद करने का निर्देश देने वाले प्रतिबंध को पूर्ववत करेगी।विनियम 40 और 52 को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है।जब एक साथ पढ़ा जाए, तो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को देय शुल्क और खर्चों की सीमा को अधिकृत और निर्दिष्ट करने वाला विनियमन 52 केवल तभी लागू होगा जब योजना चल रही हो, न कि विनियमन 39 के उप-विनियमन 3 के खंड (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन के बाद, जिसके परिणामस्वरूप समाप्त होने वाली योजना के संबंध में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि बंद हो जाएगी।

/

/

5. विनियम 41, जो समापन की प्रक्रिया और तरीके से संबंधित है, विनियम 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिस प्रकाशित होने और विनियमों के विनियम 18 (15) (सी) के अंतर्गत यूनिटधारकों की मंजूरी प्राप्त होने के बाद लागू होता है।हमें विनियमन 41 के उप-विनियमन 1 की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही 14 जुलाई 2021 के अपने पहले के आदेश में 12 फरवरी 2021 के आदेश के साथ इसकी व्याख्या कर चुके हैं। हालाँकि, फीफा का दावा है कि वे विनियमन 41 के उप-विनियमन 2 के खंड (बी) के अंतर्गत कमीशन के भुगतान के हकदार होंगे, जिसे सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया गया हैः

/

/

“41. (1) ....

(2)(ए)।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त बिक्री की आय का उपयोग पहले ऐसी देनदारियों के निर्वहन के लिए किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत देय और देय हैं और इस तरह के समापन से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद, शेष राशि का भुगतान

यूनिटधारकों को योजना की संपत्तियों में उनके संबंधित ब्याज के अनुपात में उस तारीख को किया जाएगा जब समापन का निर्णय लिया गया था।

/

/

(3) ....

(4) .... "

हम स्वीकार करेंगे कि, दिए गए मामले में, विनियमन 52 (4) के खंड (बी) में उल्लिखित कुछ आवर्ती खर्च जैसे लेखा परीक्षा शुल्क, ए

/

885

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।]

बीमा प्रीमियम, वैधानिक विज्ञापनों की लागत आदि को शामिल किया जाएगा और यह विनियमन 41 (2) के खंड (बी) की आवश्यकता को पूरा करेगा।हालाँकि, यदि और केवल तभी जब वे समापन से जुड़े खर्चों की आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो उन्हें विनियमन 41 (2) (बी) के अंतर्गत अनुज्ञात जा सकती है।इस तरह के खर्चों की अनुज्ञात विनियमन 52 (4) के खंड (बी) के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि किए गए खर्च विनियमन 41 (2) (बी) के अंतर्गत इस तरह के समापन से जुड़े होने की आवश्यकता को पूरा करेंगे। म्यूचुअल फंड वितरकों को देय कमीशन निश्चित रूप से योजना के समापन से जुड़ा खर्च नहीं है।

/

6. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, फीफा ने दावा किया है कि 23 अप्रैल 2020 को और उससे म्यूचुअल फंड वितरकों को देय कमीशन भुगतान एक 'देय और योजना के अंतर्गत देय राशि' है, क्योंकि यह एक राशि या भुगतान है जो विनियमन 39 (2) (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन से पहले अर्जित किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि यह भविष्य में देय था।म्यूचुअल फंड वितरकों को देय कमीशन ट्राइल की प्रकृति में है, और इसलिए, समापन से पहले यूनिटधारकों को दी गई सेवाओं के लिए देय भुगतान है।यह तर्क बेतुका और भ्रामक है।7. 14 जुलाई 2021 के हमारे आदेश में, हमने समझाया है कि 'देय और देय' अभिव्यक्ति की व्याख्या उस संदर्भ के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें शब्द दिखाई देते हैं।प्रश्न विनियमों के संदर्भ में, हमने माना है कि यह अभिव्यक्ति वर्तमान देनदारियों को

संदर्भित करती है जो वर्तमान में या भविष्य में देय हो सकती हैं।भुगतान करने के लिए एक मौजूदा दायित्व होना चाहिए, हालांकि भुगतान की निर्धारित तिथि नहीं आई होगी।कोई भी दायित्व जो तथ्यों और विधि में देय और देय नहीं है, 'देय और देय' अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आएगा।4 विनियम 52 (4) का खंड (बी) आवर्ती खर्चों को संदर्भित करता है, यानी ऐसे खर्च जो समय-समय पर फिर से होंगे।यह एक बार के भुगतान को संदर्भित नहीं करता है जिसे स्थगित कर दिया जाता है।आवर्ती दायित्व वर्तमान दायित्व नहीं है, बल्कि एक दायित्व है जो कुछ शर्तों की संतुष्टि पर भविष्य में जमा हो सकता है।कमीशन का दावा करने का अधिकार जमा नहीं हो सकता है और देय और देय हो सकता है।वितरक आयोग, एक आवर्ती दायित्व के रूप में, देय नहीं है यदि यूनिटधारक इकाई को छुड़ा लेते हैं।योजना को समाप्त करने में समान प्रभाव और परिणाम होते हैं।

/

/

/

/

/

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है जो उप-विनियमों (1) के संदर्भ में शुल्क और व्यय लेने की हकदार है।

4 (2021) 9 एस. सी. सी. 606 ए. के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में पैराग्राफ 78 देखें।

/

और विनियमन 52 का (2)।म्यूचुअल फंड वितरक यूनिटधारकों से सीधे भुगतान के हकदार नहीं हैं।वितरकों को भुगतान परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है, उस राशि से जो वे विनियमन 52 (4) (बी) के संदर्भ में आवर्ती व्यय के रूप में काटते हैं।विनियम 39 (3) (बी) के संदर्भ में समापन सूचना के प्रकाशन पर और उसके बाद, न्यासी और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी विनियम 52 के उप-विनियम (4) के खंड (बी) के अंतर्गत आवर्ती खर्चों के कारण किसी भी भुगतान का दावा नहीं कर सकते हैं।यह स्थिति होने के कारण, जैसा कि ऊपर माना गया है, फीफा के दावे को खारिज करना होगा।यदि राशि देय नहीं हो सकती है

और मूलधन को देय नहीं हो सकती है, तो विनियमों को देखते हुए एजेंट या किसी तीसरे पक्ष का दावा भी विफल होना चाहिए।

/

/

9. फीफा का दावा, 22 अक्टूबर 2018 के परिपत्र के आधार पर, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है, समान रूप से गलत और असमर्थनीय है।22 अक्टूबर 2018 का परिपत्र परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से अंतर्वाह के मामले को छोड़कर, किसी भी ट्रेल कमीशन का अग्रिम भुगतान या अपफ्रंट करने से रोकता है।यह भी निर्धारित किया गया है कि जब व्यवस्थित निवेश योजना को उस अवधि के लिए बंद कर दिया जाता है जिसके लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है, तो कमीशन राशि को वितरक से अनुपात के आधार पर वसूल किया जाना चाहिए।कटौती के रूप में, यह इस प्रकार है कि विनियमन 39 (3) (बी) के संदर्भ में सूचनाओं के प्रकाशन पर, म्यूचुअल फंड का व्यवसाय बंद हो जाता है और इसलिए, उस तारीख को और उससे ट्रेल कमीशन देय नहीं होता है, क्योंकि योजना को समाप्त किया जाना है और धन एकत्र किया जाना है और विनियमन 41 के अधिदेश के संदर्भ में और उसके अनुसार यूनिटधारकों को भुगतान किया जाना है।यदि कोई वितरक विनियमन 39 (3) (बी) के अंतर्गत नोटिस के प्रकाशन के बाद भी यूनिटधारकों को कुछ सेवाएं प्रदान करता है, तो भी वह परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी से राशि का दावा करने का हकदार नहीं होगा। 22 अक्टूबर 2018 का परिपत्र विनियमों को ओवरराइड नहीं कर सकता है।परिपत्र का ऐसा करने का इरादा नहीं है।यह खर्चों में पारदर्शिता लाने, पोर्टफोलियो मंथन को कम करने और म्यूचुअल फंड योजनाओं में गलत बिक्री को कम करने के लिए जारी किया गया है। म्यूचुअल फंडों के लिए कुल व्यय अनुपात और प्रदर्शन प्रकटीकरण को निर्दिष्ट करने के पीछे का उद्देश्य खर्चों में अधिक पारदर्शिता लाना और म्यूचुअल फंड वितरकों को विनियमन 41 (2) के खंड (बी) के अंतर्गत खर्च का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करना है, जो समापन की प्रक्रिया और तरीके से संबंधित है।

/

/

/

/

10. फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्रैंकलिन टेम्पलटन एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने हमारे समक्ष एक शपथपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने परिसमापन खर्च ए.

/

फ्रेंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्टी सेवाएँ पी. वी. टी. लिमिटेड. वी.अमृता गर्ग और अन्य ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे.] की राशि लगभग रु। परिसमापक शुल्क, संवितरण व्यय, ई-मतदान मंच के लिए शुल्क और मतदान परिणामों के लिए जांचकर्ता आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए 40,00,00,000/- (चालीस करोड़ रुपये)। उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह राशि योजनाओं के यूनिटधारकों के हित में छह योजनाओं के लिए प्रभारित करने का इरादा नहीं है। हमने उक्त बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है।

/

11. उपरोक्त कारणों से, फीफा द्वारा दायर आवेदन आई. ए. सं. 53453/2022 को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

/

आवेदन खारिज कर दिया गया।

/

/

/

/

/

/